तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दौराने बहस वकील प्रतिपक्ष ने प्रा० पत्र अ० धा० O.6 R.17 CPC पर अनापत्ति जाहिर की। वकील प्रतिपक्ष की अनापत्ति के आधार पर वकील वादीगण का प्रा० पत्र अ० धा० O.6 R.17 CPC स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादपत्र की मद सं० 2 में वर्णित सजरा में मुल्य परिक्षण बाबत शपथ पत्र में बोगा के आगे "उर्फ सजना" को लाल स्याही से इजाफ किया जाकर संशोधित किया जाता है। आवेदकगण मोहनलाल, महेन्द्र पुत्रगण भोला, पताली पुत्री भोला, इ.की पत्नि भोला जाति जाट निवासीगण खेपोली तह० उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू ने जरिये वकील प्रा० पत्र O.1 R.10 CPC पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। बास्ते जवाब प्रा० पत्र O.1. R.10 CPC हेतु मिसल दिनांक 24/06/19 को पेश हो।	
24/06/19.	पत्रावली पेश। बकुलाल म्यालिकेन उप। पूर्वादेशानुसार पत्रावली दि. 08/07/19 को पेश हो व पुनरच वादी अधि. द्वारा मुकदमा परिक्षण शपथ पत्र विड्रा का प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया, जो स्वीकार किया गया।	
08/07/19	पत्रावली पेश। बकुलाल म्यालिकेन उप। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते विड्रा दावा पेश की गई, जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति जाहिर की गई। प्रार्थी प्रा.पत्र O-1 R-10 ने आपत्ति जाहिर करते हुए वाद विड्रा से पहले न्यायालय के 10/6/19	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	के आदेश को खारीज करने का निवेदन किया। पत्रावली आदेशानुसार दि. 15/7/19 को पेश हो।
15/07/19.	पत्रावली पेश। वकुलाय फरीकैन उप.। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दि. 22/7/19 को पेश हो
22/07/19	पत्रावली पेश। वकुलाय फरीकैन उप.। प्रार्थी O-1 R-10 की आपत्ति का, वादी द्वारा वाद विड्रा करने पर, औचित्य सिद्ध नहीं होता। अत: आपत्ति खारीज की जाकर वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वाद विड्रा को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि. 22/07/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 22/07/19.

Scanned by CamScanner